महामहिम राज्यपाल श्री राम नाथ कोविन्द
का बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना में
'हिन्दी दिवस' (14.09.2015) के सुअवसर पर सम्बोधन

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के निदेशक डॉ0 जयकृष्ण मेहता जी, डॉ0 बलराम तिवारी जी, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह जी, हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विद्वदगण, हिन्दी–प्रेमी भाइयों–बहनों एवं मीडिया–प्रतिनिधिगण।

आज 'हिन्दी दिवस' का शुभ दिन हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के बोध और सम्मान का दिन है, अपनी सांस्कृतिक पहचान के स्मरण का दिन है। आप सभी अवगत हैं, 'संविधान–सभा' में हिन्दी की स्थिति को लेकर 12 सितम्बर, 1949 को शुरू हुई बहस के समापन के बाद 14 सितम्बर, 1949 को डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी ने घोषणा की थी कि ''अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है। इससे हमारे संबंध घनिष्ट होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परम्पराएँ एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक हैं।

हम यदि इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक हो जाते, जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासंभव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी।'' इस प्रकार संविधान–सभा में लिए गये निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया।

कुछ साल बाद, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने अनुरोध किया कि हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रचारित–प्रसारित करने और संविधान में लिए गये फैसले को प्रतिपादित करने के लिए 14 सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' मनाया जाए। समिति के आग्रह को मंजूर करते हुए 14

सितम्बर, 1953 को देश भर में 'हिन्दी दिवस' मनाने का सिलसिला शुरू हो गया।

'संविधान–सभा' में बहस के दौरान पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ''किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी विदेशी भाषा देश के आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती।

भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में; जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें ऐसी हिन्दी को अपनाना चाहिए।''

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बहस में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का राजभाषा के रूप में समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अंकों को भारतीय अंकों के रूप में भी मान्यता देने की अपील की थी। उन्होंने 'संविधान–सभा' से अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की दिशा में वह एक संतुलित निर्णय ले और सहयोग करे।

उनका आग्रह था कि 'अनेकता में एकता' भारतीय जीवन–पद्धति की विशेषता रही है और हमें इसे हर हाल में बहाल रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया था कि ''हम हिन्दी को मूलतः इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि इस भाषा को बोलने वालों की संख्या अन्य किसी भाषा के बोलनेवालों की संख्या से अधिक है।'' ज्ञातव्य है कि 1949 ई0 में कुल 32 करोड़ में 14 करोड़ हिन्दी भाषियों की संख्या बताई गई थी।

डॉ0 मुखर्जी ने अंग्रेजी को तात्कालिक तौर पर ही स्वीकार करते हुए इसे उत्तरोत्तर हटाये जाने की वकालत की थी। तब की परिस्थितियों के हिसाब से यही समय की माँग थी और व्यवहारिकता भी। आज 65 वर्षों बाद भी हमने अगर हिन्दी को उसका वाजिब हक, वाजिब दर्जा प्रदान करने में सफलता नहीं पायी है तो हमें निश्चय ही आत्म–मंथन की जरूरत है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है।

आज जबकि हमारे देश का एक राष्ट्रध्वज है, एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रगीत है, एक राष्ट्रीय प्रतीक है, एक राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय नदी है, तो क्या यह विस्मयकारी नहीं लगता कि फिर एक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं ? राजभाषा से राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को समादृत होने में और कितनी दूरी तय करनी होगी और इसमें कितना समय लगेगा ?

इसकी कोई निश्चित रूपरेखा और निर्धारित समयावधि अगर हमारे पास नहीं है, तब तो यह यात्रा अनन्त की ओर हमारा प्रस्थान मानी जाएगी और इस संदर्भ में हमारे सारे प्रयास व्यर्थ होते जाएँगे। आज हिन्दी के विकास पर बातें करते हुए हमें दरअसल आज की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। विशुद्ध भावनात्मक आग्रहों से भी हमें बचना होगा।

'भूमंडलीकरण' और वैज्ञानिक–तकनीकी विकास के दौर में हमें हिन्दी के विकास के बहुआयामी स्वरूप और संभावनाओं पर विचार करना होगा।

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल' की भारतेन्दु की उक्ति की मर्यादा को सिर्फ भावना और संवेदना के स्तर पर महसूस कर हम हिन्दी का विकास नहीं कर सकते। हमें आज हिन्दी के विकास की बात करते समय हिन्दी के स्वरूप और संरचना पर भी विचार करना होगा। हिन्दी के ही कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कभी लिखा था कि – ''जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख'' हमें भवानी जी की बातों को समझना होगा और हिन्दी को दैनिक जीवन की भाषा के रूप में विकसित करना होगा।

कम्प्यूटर और इंटरनेट के युग में, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के दौर में पूरी दुनियाँ के ज्ञान–विज्ञान की बातों की बड़ी तेजी से एक–दूसरे में आवाजाही संभव हो पा रही है। हमें इस बदलाव की सकारात्मकता को सहज रूप में लेना चाहिए। नई पीढ़ी इसको उत्साह के साथ देखती है। भाषा एवं साहित्य के विकास के क्षेत्र में

भी हमें इस बदलाव को सहजता और सकारात्मकता में ग्रहण करना चाहिए।

हमें खुशी है कि आज हिन्दी साहित्य के अंतर्गत नारी–विमर्श एवं दलित साहित्य की साहित्यिक सर्जनाओं के क्रम में इन वैश्विक परिवर्त्तनों को संवेदना और संरचना तथा विचार और शिल्प के स्तर पर भी पूरे उत्साह और मर्यादा के साथ ग्रहण किया गया है। आज हिन्दी में भी नेट–पत्रिकाओं, विभिन्न साहित्यिक वेबसाइटों और ब्लॉग–लेखन को न केवल युवा पीढ़ी के लोग अपना रहे हैं, बल्कि बुजुर्ग साहित्यकार भी इस मैदान में उतरकर हाथ–आजमाईश करने जगे हैं। यह खुशी की बात है कि पिछले सप्ताह '10वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन' इस बार भोपाल में आयोजित हुआ, जिसमें 27 देशों के 2000 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत में आयोजित होनेवाला यह तीसरा विश्व हिन्दी सम्मेलन हिन्दी भाषा के विकास और उसके विभिन्न वैश्विक संदर्भों को रेखांकित करने की दिशा में एक 'मील का पत्थर' साबित होगा। हिन्दी भाषा को डिजिटल भाषा के अनुरूप विकसित करने की दिशा में तेजी से प्रयास हो रहे हैं और यह एक वास्तविकता है कि भाषाशास्त्रियों के एक अनुमान के अनुसार 21वीं सदी के अन्त तक जिन तीन–चार भाषाओं की अस्मिता विश्व स्तर पर अक्षुण्ण बनी रहेगी, उनमें एक भाषा हमारी हिन्दी भी होगी।

यह प्रसन्नतादायी खबर भी भोपाल से प्राप्त हुई कि पुणे के श्री अनुराग गोड़ एवं उनके साथियों ने सोशल साईट 'ट्वीटर' की तर्ज पर हिन्दी में काम करने वाला 'मूषक' सोशल नेटवर्किंग साईट पेश किया है, जिसका उद्देश्य हिन्दी और देवनागरी को आज की पीढ़ी के लिए अधिक समसामयिक और प्रचलित बनाना है। इस पर 500 शब्दों की सीमा में हम अपने भावों और विचारों को ज्यादा विस्तार से प्रस्तुत कर पायेंगे। ऐसे अन्य कई प्रयास हिन्दी की

भाषिक क्षमता और उपयोगिता के संवर्द्धन हेतु प्रगति पर हैं। यह एक शुभ संकेत है।

आज वैश्वीकरण के दौर में यद्यपि अंग्रेजी का साम्राज्य एक बड़े भू–भाग पर है, किन्तु यह भी एक सच्चाई है कि तमाम मल्टीनेश्नल कम्पनियाँ बाजार के दबाव में आज भारत में, हिन्दी को गले लगाने में कोई हिचक नहीं दिखा रहीं। हिन्दी आज विश्व बाजार की भी जरूरत बन गई है। आज अंग्रेजी के साथ हमारे रिश्ते में भी कटुता काफी हदतक कम है, सहयोग और सौमनस्य बढ़ा है। अंग्रेजी के कई विद्वानों ने हिन्दी में महत्वपूर्ण साहित्य लिखा है और हिन्दी के साहित्यकारों ने भी दुनियाँ के दूसरे देशों के साहित्य से अपना रिश्ता–नाता करीबी किया है।

एक दूसरे के साहित्य के अनुवाद–कार्यों में भी तेजी आई है, फलतः एक दूसरे के दुःख–दर्दों और समस्याओं को समझने–सलटाने में भी सहूलियत बढ़ी है।

यह सुखद अनुभव है, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी के प्रति भी अन्य भाषा–भाषियों का सम्मान भाव बढ़ेगा और हिन्दी भाषा–भाषियों में भी अन्य भारतीय भाषाओं एवं आवश्यक विदेशी भाषाओं को पढ़ने–समझने की ललक बढ़ेगी, उत्साह जगेगा। भाषिक स्तर पर बढ़ने वाले इस आदान–प्रदान से, विकसित होनेवाले इस सम्पर्क से ज्ञान–विज्ञान के क्षितिज का तो विस्तार होगा ही, एक नया सांस्कृतिक अभ्युदय भी होगा।

विश्व मानवता की भावना बलवती होगी। मेरी समझ है कि हिन्दी भाषा के प्रश्न पर न तो भावुकता के साथ विचार हो सकता है और न अतीत के प्रति भक्ति–भाव रखकर।

हमें आज प्रगतिशील मानसिकता से बदलते समय की आहटों को सुनना होगा। अपनी सांस्कृतिक विरासत पर हमें गर्व है और उसमें कोई कमी नहीं होने जा रही, परंतु अपने ज्ञान के वातायन को खुला

रखकर ही हम अपनी भाषा, अपने साहित्य और अपनी बौद्धिक सम्पदा को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं।

हिन्दी एक समृद्ध भाषा है। इसका साहित्य भी अत्यंत उत्कृष्ट विपुल और और बहुआयामी है। आज हिन्दी की श्री–समृद्धि पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे याद आती हैं, आचार्य बलवंत की पंक्तियाँ, जिसमें उन्होंने लिखा है–

''जन–सामान्य की भाषा हिन्दी
जन–मन की जिज्ञासा हिन्दी,
जन–जीवन में रची–बसी
बन जीवन की अभिलाषा हिन्दी।
तुलसी–सूर की बानी हिन्दी
विश्व की जन–कल्याणी हिन्दी,
ध्वनित हो रही घर–आँगन में
बनकर कथा–कहानी हिन्दी।
संकट के इस विषम दौर में
उम्मीदों की आशा हिन्दी,
गीत–प्रेम की गाती हिन्दी
सबको गले लगाती हिन्दी।
राष्ट्रधर्म पर मिटनेवाले
वीरों की है गाथा हिन्दी,
सेवा–भाव सिखाती हिन्दी
सबके मन को भाती हिन्दी।
सबके दिल की बातें करती
सबका दिल बहलाती हिन्दी,
स्नेह, शील, सद्भाव, समन्वय
संयम की परिभाषा हिन्दी।''

– आइये, ऐसी हितकारिणी हिन्दी भाषा के गौरव–दिवस के सुअवसर पर हम यह संकल्प लें कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में हम अपने सार्थक प्रयासों को और अधिक गति देंगे,
हिन्दी को सर्वतोभावेन और अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में अपने राष्ट्रधर्मी प्रयत्नों को और अधिक त्वरित, समावेशी और समन्वयकारी बनायेंगे। हमें न केवल विश्वास है, बल्कि पूरा विश्वास है–''हम होंगे कामयाब एक दिन।''

आप सभी हिन्दी–प्रेमियों को बहुत–बहुत बधाई। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् ने आज एक सार्थक आयोजन किया, हम इसके निदेशक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं। परिषद् साहित्यिक पुस्तकों के साथ–साथ ज्ञान–विज्ञान के अन्य प्रक्षेत्रों की पुस्तकें भी प्रकाशित करती रहे, ताकि हिन्दी का सर्वांगीण विकास होता रहे। मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद !

जय हिन्द।

***

प्रस्तुति–जन–सम्पर्क शाखा, राजभवन, पटना।